

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ  
पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर०ए०एस०)  
प्रकरण संख्या - 1031/2024

अनवान : -

1. कृष्ण कुमार पुत्र जयनारायण जाति ब्राह्मण निवासी फेफाना तहसील नोहर।

- वादी

बनाम्

1. उर्मिला देवी पुत्री जयनारायण जाति ब्राह्मण निवासी फेफाना तहसील नोहर।  
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

-प्रतिवादीगण

3. ओमप्रकाश पुत्र जयनारायण जाति ब्राह्मण निवासी फेफाना तहसील नोहर।  
4. बलवीर पुत्र जयनारायण जाति ब्राह्मण निवासी फेफाना तहसील नोहर।  
5. शिशपाल पुत्र जयनारायण जाति ब्राह्मण निवासी फेफाना तहसील नोहर

- तरतीबी प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88-89 ,राजस्थान काश्त०  
अधि० 1955

उपस्थिति :- श्री रविन्द्र गोदारा अधिवक्ता वादी  
पेरोकार राज

निर्णय

दिनांक: 11/11/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि वादी एवं प्रतिवादीगण की दादा लाई खातेदारी कृषि भूमि रोही मौजा 4 केएनएन तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2072-2075 के खाता संख्या 52/52 के कुल खसरे 29 की कुल तादादी 6.3250 है० भूमि में से 1/40 हिस्सा भूमि एवं रोही मौजा 3 केएनएन तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2071-2074 के खाता संख्या 72/72 के कुल खसरे 20 की कुल तादादी 4.6553 है० भूमि में से 1265/28648 हिस्सा भूमि एवं रोही मौजा 3 बरानी तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2073-2076 के खाता संख्या 170/137 के कुल खसरे 39 की कुल तादादी 8.0960 है० भूमि में से 1063/64768 हिस्सा भूमि एवं रोही मौजा 5 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2073-2076 के खाता संख्या 83/79 के कुल खसरे 17 की कुल तादादी 4.3010 है० भूमि में से 1/40 हिस्सा भूमि तथा रोही मौजा 7 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2074-2077 के खाता संख्या 92/85 के कुल खसरे 8 की कुल तादादी 2.0240 है० भूमि में से 1/40 हिस्सा भूमि प्रतिवादीया संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उपरोक्त वाद भूमि वादी की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है। प्रतिवादीया संख्या 1 जो कि वादी की बहिन है उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहती है तथा अपना जो भी हक हिस्सा है वह परिवार के मौजिज व्यक्तियों में समक्ष अपने भाईयों के पक्ष में परित्याग कर चुकी है इस प्रकार से प्रतिवादीया संख्या 1 का कोई हक हिस्सा शेष नहीं बचा है बाद हक त्याग रोही मौजा 4 केएनएन तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2072-2075 के खाता संख्या 52/52 के कुल खसरे 29 की कुल तादादी 6.3250 है० भूमि में से 1/40 भूमि एवं रोही मौजा 3 केएनएन तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2071-2074 के खाता संख्या 72/72 के

01  
उपखण्ड अधिकारी  
नोहर

कुल खसरे 20 की कुल तादादी 4.6553 है0 भूमि में से 1265/28648 हिस्सा भूमि एवं रोही मौजा 3 बारानी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073-2076 के खाता संख्या 170/137 के कुल खसरे 39 की कुल तादादी 8.0960 है0 भूमि में से 1063/64768 हिस्सा भूमि एवं रोही मौजा 5 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073-2076 के खाता संख्या 83/79 के कुल खसरे 17 की कुल तादादी 4.3010 है0 भूमि में से 1/40 हिस्सा भूमि तथा रोही मौजा 7 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2074-2077 के खाता संख्या 92/85 के कुल खसरे 8 की कुल तादादी 2.0240 है0 भूमि में से 1/40 हिस्सा भूमि उपरोक्त सभी खातों की भूमि में वादी एवं तरतीवी प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 ब0 हि0 ब0 काबिज है वादी जिसकी न्यायालय से घोषणा करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने की अधिकारी है। यही विनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादीया के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादीया का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल जवाब पेश किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 कोई ऐतराज नहीं है। प्रतिवादी संख्या 2 परोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। अधिवक्ता वादी ने तरतीबी प्रतिवादीगण को तर्क अंकित किया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य वाद से संबंधित नवीनतम जमाबंदीया, चित्रप्रति नामान्तरण संख्या 478 दिनांक 17.10.2021 रोही मौजा 3 केएनएन, चित्रप्रति नामान्तरण संख्या 623 दिनांक 08.01.2022 रोही मौजा 7 जेएसएन, चित्रप्रति नामान्तरण संख्या 631 दिनांक 24.01.2021 रोही मौजा 4 केएनएन दस्तावेज पेश किये जो की शामिल मिसल किये गये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उपरोक्त वाद भूमि वादी की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है। वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है प्रतिवादीया संख्या 1 जो कि वादी की बहिन है उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहती है तथा अपना जो भी हक हिस्सा है वह परिवार के मौजिज व्यक्तियों में समक्ष अपने भाईयों के पक्ष में परित्याग कर चुकी है इस प्रकार से प्रतिवादीया संख्या 1 का कोई हक हिस्सा शेष नहीं बचा है बाद हक त्याग रोही मौजा 4

01  
उपस्थित अधिकारी  
नोहर

केएनएन तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2072-2075 के खाता संख्या 52/52 के कुल खसरे 29 की कुल तादादी 6.3250 है0 भूमि में से 1/40 हिस्सा भूमि एवं रोही मौजा 3 केएनएन तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2071-2074 के खाता संख्या 72/72 के कुल खसरे 20 की कुल तादादी 4.6553 है0 भूमि में से 1265/28648 हिस्सा भूमि एवं रोही मौजा 3 बाराणी तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2073-2076 के खाता संख्या 170/137 के कुल खसरे 39 की कुल तादादी 8.0960 है0 भूमि में से 1063/64768 हिस्सा भूमि एवं रोही मौजा 5 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2073-2076 के खाता संख्या 83/79 के कुल खसरे 17 की कुल तादादी 4.3010 है0 भूमि में से 1/40 हिस्सा भूमि तथा रोही मौजा 7 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2074-2077 के खाता संख्या 92/85 के कुल खसरे 8 की कुल तादादी 2.0240 है0 भूमि में से 1/40 हिस्सा भूमि उपरोक्त सभी खातो की भूमि में वादी एवं तरतीवी प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 ब0 हि0 ब0 काबिज है। तरतीवी प्रतिवादीगण का जो भी हक हिस्सा है उन्हें दिया जा रहा है। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई ऐतराज नहीं है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार कि रोही मौजा 4 केएनएन तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2072-2075 के खाता संख्या 52/52 के कुल खसरे 29 की कुल तादादी 6.3250 है0 भूमि में से 1/40 हिस्सा भूमि एवं रोही मौजा 3 केएनएन तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2071-2074 के खाता संख्या 72/72 के कुल खसरे 20 की कुल तादादी 4.6553 है0 भूमि में से 1265/28648 हिस्सा भूमि एवं रोही मौजा 3 बाराणी तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2073-2076 के खाता संख्या 170/137 के कुल खसरे 39 की कुल तादादी 8.0960 है0 भूमि में से 1063/64768 हिस्सा भूमि एवं रोही मौजा 5 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2073-2076 के खाता संख्या 83/79 के कुल खसरे 17 की कुल तादादी 4.3010 है0 भूमि में से 1/40 हिस्सा भूमि तथा रोही मौजा 7 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2074-2077 के खाता संख्या 92/85 के कुल खसरे 8 की कुल तादादी 2.0240 है0 भूमि में से 1/40 हिस्सा भूमि प्रतिवादीया संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, वादी का कथन है कि रोही मौजा 4 केएनएन तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2072-2075 के खाता संख्या 52/52 के कुल खसरे 29 की कुल तादादी 6.3250 है0 भूमि में से 1/40 हिस्सा भूमि एवं रोही मौजा 3 केएनएन तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2071-2074 के खाता संख्या 72/72 के कुल खसरे 20 की कुल तादादी 4.6553 है0 भूमि में से 1265/28648 हिस्सा भूमि एवं रोही मौजा 3 बाराणी तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2073-2076 के खाता संख्या 170/137 के कुल खसरे 39 की कुल तादादी 8.0960 है0 भूमि में से 1063/64768 हिस्सा भूमि

एवं रोही मौजा 5 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073-2076 के खाता संख्या 83/79 के कुल खसरे 17 की कुल तादादी 4.3010 है० भूमि में से 1/40 हिस्सा भूमि तथा रोही मौजा 7 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2074-2077 के खाता संख्या 92/85 के कुल खसरे 8 की कुल तादादी 2.0240 है० भूमि में से 1/40 हिस्सा भूमि प्रतिवादीया संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, वादी के उक्त कथनों को प्रतिवादीगण द्वारा स्वीकार करते हुए इकबाल पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 को कोई ऐतराज नहीं है। तरतीबी प्रतिवादीगण को अधिवक्ता वादी द्वारा तर्क अंकित किया गया है। वादी द्वारा पत्रावली में दर्शाये गये सजरा खानदान के अलावा जयनारायण के अन्य कोई भी वारिस नहीं होना स्वीकार किया गया है। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से उक्त वाद भूमि पैतृक भूमि होना साबित है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादीया साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीया की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीया मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 4 केएनएन तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2072-2075 के खाता संख्या 52/52 के कुल खसरे 29 की कुल तादादी 6.3250 है० भूमि में से 1/40 हिस्सा भूमि एवं रोही मौजा 3 केएनएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2071-2074 के खाता संख्या 72/72 के कुल खसरे 20 की कुल तादादी 4.6553 है० भूमि में से 1265/28648 हिस्सा भूमि एवं रोही मौजा 3 बारानी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073-2076 के खाता संख्या 170/137 के कुल खसरे 39 की कुल तादादी 8.0960 है० भूमि में से 1063/64768 हिस्सा भूमि एवं रोही मौजा 5 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073-2076 के खाता संख्या 83/79 के कुल खसरे 17 की कुल तादादी 4.3010 है० भूमि में से 1/40 हिस्सा भूमि तथा रोही मौजा 7 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2074-2077 के खाता संख्या 92/85 के कुल खसरे 8 की कुल तादादी 2.0240 है० भूमि में से 1/40 हिस्सा भूमि उपरोक्त सभी खातों की भूमि में प्रतिवादीया संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादी एवं तरतीबी प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 को ब० हि० ब० के खातेदार काशतकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरुस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफतर हों।

निर्णय आज दिनांक 11/11/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S.)  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
एवं सहायक कलक्टर  
नोहर

## पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ  
पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या - 1031/2024

अनवान : -

1. कृष्ण कुमार पुत्र जयनारायण जाति ब्राह्मण निवासी फेफाना तहसील नोहर।

- वादी

बनाम्

1. उर्मिला देवी पुत्री जयनारायण जाति ब्राह्मण निवासी फेफाना तहसील नोहर।

2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

-प्रतिवादीगण

3. ओमप्रकाश पुत्र जयनारायण जाति ब्राह्मण निवासी फेफाना तहसील नोहर।

4. बलवीर पुत्र जयनारायण जाति ब्राह्मण निवासी फेफाना तहसील नोहर।

5. शिशपाल पुत्र जयनारायण जाति ब्राह्मण निवासी फेफाना तहसील नोहर

- तरतीबी प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 1031 सन 2024 निर्णय दिनांक - 11/11/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री रविन्द्र कुमार गोदारा एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 4 केएनएन तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2072-2075 के खाता संख्या 52/52 के कुल खसरे 29 की कुल तादादी 6.3250 है0 भूमि में से 1/40 हिस्सा भूमि एवं रोही मौजा 3 केएनएन तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2071-2074 के खाता संख्या 72/72 के कुल खसरे 20 की कुल तादादी 4.6553 है0 भूमि में से 1265/28648 हिस्सा भूमि एवं रोही मौजा 3 बारानी तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2073-2076 के खाता संख्या 170/137 के कुल खसरे 39 की कुल तादादी 8.0960 है0 भूमि में से 1063/64768 हिस्सा भूमि एवं रोही मौजा 5 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2073-2076 के खाता संख्या 83/79 के कुल खसरे 17 की कुल तादादी 4.3010 है0 भूमि में से 1/40 हिस्सा भूमि तथा रोही मौजा 7 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2074-2077 के खाता संख्या 92/85 के कुल खसरे 8 की कुल तादादी 2.0240 है0 भूमि में से 1/40 हिस्सा भूमि उपरोक्त सभी खातों की भूमि में प्रतिवादीया संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादी एवं तरतीबी प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 को ब0 हि0 ब0 के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरुस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 11/11/2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
एवं सहायक कलक्टर नोहर